संख्या-30/2015/ 86 /नौ-9-15-94ज/14

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ - दिनांक 28 मई,2015

विषय- स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वितरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-क;नि;-5-1149/11-2013-312(268)/2001,दिनांक 13-09-2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगरीय निकायों को अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 **4,34,00,00,000/-(रूपये चार अरब चौंतीस करोड मात्र)** को श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यह धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक/पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि नगरीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का वितरण/भुगतान महानिरीक्षक निबन्धन से अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या- क;नि;-5-1149/11-2013-312(268)/2001,दिनांक 13-09-2013 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु सम्बन्धित निकाय जनपद के कर निबन्धन विभाग से निकाय को देय 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की देयता का विवरण प्राप्त करके महानिरीक्षक,निबन्धन उ0प्र0 से अनुमोदित करायेंगे। सम्बन्धित निकाय महानिरीक्षक,निबन्धन,उ0प्र0 से अनुमोदित विवरण को निदेशक,स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक,स्थानीय निकाय द्वारा उक्त विवरण/प्रस्ताव को परीक्षणोंपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्ताव के अनुसार ही सम्बन्धित निकाय को उतनी धनराशि

http://lrbasondesh.up.nic.in/

स्वीकृत करते हुये तत्सम्बन्धी बजट आवंटन किया जायगा। बजट आवंटन के सापेक्ष धनराशि का आहरण सम्बन्धित निकाय द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये जनपद कोषागार से स्थानीय निकाय स्तर पर किया जायेगा।

(4) स्वीक़त धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुये प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक,स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो,सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(6) स्वीक़त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद एवं निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 /शासन को दिनांक 31 मार्च,2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 लेखाशीर्षक " 2217-शहरी विकास आयोजनेत्तर -80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08- राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगरीय निकायों को अन्तरण -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

http://shajahanpur.up.nic.in/

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव,कर एवं निबन्धन विभाग,उ0प्र0शासन।
3. महानिरीक्षक,निबन्धन,उ0प्र0लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5. समस्त नगर आयुक्त / नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ0प्र0, इलाहाबाद।

7. मुख्य कोषाधिकारी,उ0प्र0 ,जवाहर भवन,लखनऊ।
8. निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0 ,लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिष्द/नगर पंचायत,उ0प्र0 । (द्वार-निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
10. वित्त(व्यय -नियंत्रण)अनुभाग-8
11. गार्ड फाइल हेतु।
12. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल,नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/